

6.11.23
10.11.23

(नियम 26)

फर्द अहकाम

न्यायालय संभागीय आयुक्त, मुकाम सीकर

देवाराज बनाम माली देवी व अन्य

किस्म मुकदमा :- प्राप्ता बाजदारि

अपील सं. 582/2023

2023/514
6/11/23
जापुतवाक

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18.9.2023	पत्रावली न्यायालय अति० संभागीय आयुक्त जयपुर से स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली अपीलान्ट व रेस्पोंडेंट की तलबी नोटिस जारी होकर दिनांक 31.10.2023 को पेश हो ॥	
31.10.23	<p style="text-align: center;">संभागीय आयुक्त सीकर</p> <p>अपीलान्ट की ओर से एडवोकेट प्रमेशचन्द्र लाल सेनी तथा रेस्पों. नं. 1, 4, 5, 6, 7 व 8 की ओर से एड. ओमप्रकाश गोरा ने पत्रावली पेश किया।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। आज P.O. सा. भ्रमण/अचकाश पर है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6.11.23 को पेश हो ॥</p>	
6.11.2023	<p>पत्रावली पेश हुई। वहील उभय पक्ष उजवा लक्ष प्राथिका पक्ष बाजदारि पर कृती गयी। वहील अपीलान्ट प्राथिका पक्ष स्वीकार किया जाकर इल पत्रावली को पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर नम्बर पर लगे हुए निवेदन किया। वहील रेस्पों. आवेदन प्राप्त आ. आदेश 9 नियम 9 एवं कपडित धारा 151 सीपीसी के स्वीकार किया जाने पर अपनी कदमति जतारि। अतः अपीलान्ट प्राथिका पक्ष आ. आदेश 9 नियम 9 सीपीसी धपडित धारा 151 CPC के स्वीकार किया जातारि इल पत्रावली पुनः दर्ज रजिस्टर करके के आदेश पालिते किया जाता है पत्रावली कुशल शमार होकर दाखिल पतर है।</p> <p style="text-align: right;">संभागीय आयुक्त सीकर</p>	